(21)

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–101/2021 (2021/301) दर्ज दिनांक 16.08.2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

किशनलाल आत्मज नानुराम तेली निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थी

बनाम

1. खलील मोहम्मद आत्मज फतहमोहम्मद मुसलमान
2. जुलेखां आत्मज हसन खां मुसलमान
3. निसार आत्मज हसन खां मुसलमान
4. मेहराजबानु पत्नि सैयदहुसैन मुसलमान
5. अरशद आत्मज सैयदहुसैन मुसलमान ना0बा0ब0 जरिये संरक्षक माता मेहराज बानु पत्नि सैयदहुसैन
6. समीम आत्मज हसन खां मुसलमान
7. हकीम आत्मज हसरन खां मुसलमान
8. घीसुबेग आत्मज वसीरबेग मुसलमान ना0बा0 ब0 जरिये संरक्षक माता बतुल पत्नि वसीर बेग मुसलमान
9. तेयुब बेग आत्मज वसीर बेग मुसलमान ना0बा0 ब0 जरिये संरक्षक माता बतुल पत्नि वसीर बेग मुसलमान
10. बतुल पत्नि वसीर बेग मुसलमान
11. महबुब बेग आत्मज सरदार बेग मुसलमान
12. सन्दल पत्नि सरदारबेग मुसलमान
13. समन्दबेग आत्मज सरदारबेग मुसलमान
14. फिरोजा बेगम पुत्री अलानुर खां मुसलमान
15. मरियमबेगम पुत्री अलानुर खां मुसलमान
16. मुश्ताक खां आत्मज अलानुर खां मुसलमान
17. सलीम खां आत्मज अलानुर खां मुसलमान
18. मेहबुब खां आत्मज अलानुर खां मुसलमान
    सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
19. अमरचन्द आत्मज कालु गाडरी
20. प्रथु आत्मज कालुराम गाडरी
21. भैरू आत्मज भुरालाल गाडरी
22. मेहनलाल आत्मज मियाराम गाडरी
    सर्व निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगण:– श्री रा[illegible]ल जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:27:22 IST
Reason: SelfAttested

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–01.10.2021

(हस्ताक्षर अधिकार देने वाला/देने वाले)
अधिकार पत्र देने वाले को स्वयं मैं पहचानता हूं

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3027 रकबा 0.25 हे0, 3028 रकबा 1.31 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.56 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 8 पर दर्ज होकर स्थित हैं। जिसकी जमाबन्दी संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 एवं 11 लगायत 22 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 10 की मृत्यु हो जाने से उसके एवं उसके कायम मु0 की ओर से कोई कार्यवाही नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 3027 रकबा 0.25 हे0, 3028 रकबा 1.31 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.56 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 8 पर दर्ज होकर स्थित भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 600/- (छः सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 600/- (छः सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:27:22 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर अधिकार देने वाला/देने वाले)